न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 84/11

GCMS Id : 2011 / 00014

उदालाल आत्मज देवीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
1. गिर्राज पुत्र प्रेमशंकर
2. रविन्द्र पुत्र प्रेमशंकर

जाति धाकड़, निवासीगण ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. जिला कलेक्टर, कोटा

-- (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री तेजमल जैन, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 06.06.2024

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 889 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बावत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ वादी को दिनांक 22.05.1986 को राजस्व अभियान कैम्प अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा भूमि कीमतन आवंटित की गई थी।

~ वादी ने आवंटन की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी है। सेटलमन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 312 का नया खसरा नम्बर 423 बनाया है तथा खसरा नम्बर 423 की 1 वीघा पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

~ राजस्व कर्मचारियों ने वादी को आवंटित भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं किया। इस कारण वादी को उक्त भूमि पर अतिक्रमी बता रखा है जबकि वादी को उक्त भूमि विधि सम्मत रूप से आवंटित हुई है और आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है।

~ वादी को इसके पूर्व भी 1 वीघा 5 विस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका नया नम्बर 431 की 0.19 हैक्टर बना है। तहसील ने खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा आवंटित जमीन को वही जमीन मानकर खसरा नम्बर 431 वादी के खाते दर्ज कर दी जबकि खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा जिसका नया नम्बर 423 बना है, को भी वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था।

~ वादी ने कई वार तहसील में जाकर राजस्व कर्मचारियों से वादी के पक्ष में किये गये आवंटन का अंकन करने को कहा किन्तु वादी की कोई सुनवाई नहीं हुई और अन्त में दिनांक 01.06.2011 को तहसील में वादी से कहा गया कि अब तो न्यायालय में दावा करने पर ही यह जमीन तुम्हारे खाते बंधेगी इसलिये वादी को यह वाद प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होना पडा है।

~ वाद कारण दिनांक 22.05.1986 को भूमि वादी को आवंटन होने पर और अन्तिम वार दिनांक 09.06.2011 को नोटिस धारा 80(2) का देने तथा नोटिस की समयावधि दिनांक 14.08.2011 को समाप्त होने पर उत्पन्न हुआ।

~ अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 423 की 1 वीघा भूमि जिस पर वादी का कब्जा

(सहायक कलक्टर (मुख्यालय) seal)

है, उसका खातेदार घोषित किया जावे तथा तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। साथ ही वादी के विरूद्ध अतिक्रमी की कार्यवाही को भी रोका जावे।

~ वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम अरलिया की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

1 – नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057, खसरा नम्बर 431.
2 – नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069, खसरा नम्बर 423.
3 – नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057, खसरा नम्बर 312
4 – नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057, खसरा नम्बर 315
5 – नकल, तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को सनद जांच रिपोर्ट, मिसल नं. 194/86
6 – नकल आवंटन हेतु आवंदन पत्र मय रिपोर्ट पटवारी व आदेश
7 – नकल आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर

3- दौराने वाद प्रकरण के सम्बन्ध में प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ वादी को आवंटन दिनांक 22.05.1986 को हुआ है। इस अवधि में भू–प्रबन्ध कार्य जैरकार होने से राजस्व इन्द्राज का प्रभार भू प्रबन्ध विभाग को था।

≈ वादी को साबिक खसरा नम्बर 315 मि. के हाल नम्बर 431 दस्तावेजानुसार आवंटन नहीं होना पाया जाता है और न ही वादी द्वारा साक्ष्य पेश किया गया है।

≈ वादी को दिनांक 22.05.1986 को साबिक खसरा नम्बर 312 में से 1 वीघा भूमि आवंटन हुई। इस अवधि में भू प्रबन्ध कार्यवाही जैरकार होने से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो सकी। भू प्रबन्ध विभाग ने इसी आवंटन के तहत नवीन खसरा नम्बर 431 रकवा 0.19 हैक्टर पर गैरखातेारी दर्ज की गई, जो गलत दर्ज हुई। वास्तव में साबिक खसरा नम्बर 312 के नवीन खसरा नम्बर 423 रकवा 0.16 हैक्टर पर गैरखातेदारी दर्ज किया जाना अपेक्षित था। चूंकि वादी द्वारा घोषणात्मक दावा के अधीन प्रस्तुत किया है जबकि प्रकरण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के नियम 136 से प्रभावित होने से पोषणीय नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादी का कब्जा खसरा नम्बर 423 रकवा 0. 16 हैक्टर पर होना जाहिर है।

4- दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये :–

(1) आया वादी को ग्राम अरण्डखेडा की खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा भूमि कीमतन आवंटन हुई। – (वादी)
(2) आया वादी की उक्त भूमि की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 431 की 0.19 हैक्टर बना है, जिस पर वादी काविज काश्त है। – (वादी)
(3) आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कराने व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। – (वादी)
(4) आया वादी द्वारा घोषणा का दावा पेश किया है जबकि प्रकरण एलआर एक्ट 1956 के तहत 136 के अन्तर्गत प्रभावित होने से दावा खारिज योग्य है। – (प्रतिवादी)
(5) अनुतोष ?

5- *प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय वहस अन्तिम सुनी गई –*

• वादी अभिभाषक द्वारा अपनी वहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी को दिनांक 22.05.1986 को ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा भूमि कीमतन आवंटित की गई थी। वादी ने आवंटन की सम्पूर्ण राशि जमा करा दी थी। सेटलमन्ट विभाग द्वारा खसरा नम्बर 312 का नया खसरा नम्बर 423 वनाया है तथा खसरा नम्बर 423 की 1 वीघा पर वादी का आज भी निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों ने वादी को आवंटित भूमि का राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं किया जवकि वादी को उक्त भूमि विधि सम्मत रूप से आवंटित हुई है और आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा वादी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है। वादी को इसके पूर्व भी 1 वीघा 5 विस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका नया नम्वर 431 की 0.19 हैक्टर वना था। तहसील ने खसरा नम्वर 312 की 1 वीघा आवंटित जमीन को वही जमीन मानकर खसरा नम्बर 431 वादी के खाते दर्ज कर दी जवकि खसरा नम्बर 312 की 1 वीघा जिसका नया नम्वर 423 वना है, को भी वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। वादी ने कई वार तहसील में जाकर राजस्व कर्मचारियों से वादी के पक्ष में किये गये आवंटन का अंकन करने को कहा किन्तु वादी की कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिये वादी को यह वाद प्रस्तुत करने के लिये वाध्य होना पडा है। अतः निवेदन है कि ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा,

जिला कोटा के खसरा नम्बर 423 की 1 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) *आया वादी को ग्राम अरण्डखेडा की खसरा नम्बर 312 की 1 बीघा भूमि कीमतन आवंटन हुई।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- कथन के समर्थन में नकल आवंटन हेतु आवंटन पत्र मय रिपोर्ट पटवारी व आदेश तथा नकल आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर पेश किया गया है।
- प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावा की मद संख्या–3 तथा जवाब दावा के अन्तिम पैरा में वादी को खसरा नम्बर 312 की 1 बीघा भूमि का दिनांक 22.05.1986 को आवंटन होने का उल्लेख किया गया है।
- दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवंटन ग्राम अरण्डखेडा की भूमि नहीं बल्कि ग्राम अरलिया की भूमि का किया गया था।
- इस प्रकार प्रकरण में पेश दस्तावेजात तथा जवाब दावा से ग्राम अरलिया के खसरा नम्बर 312 की 1 बीघा भूमि का वादी को कीमतन आवंटन होने की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(2) *आया वादी की उक्त भूमि की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नया खसरा नम्बर 431 की 0.19 हैक्टर बना है, जिस पर वादी काबिज काश्त है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- प्रकरण में पेश मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को आवंटित आराजी गत खसरा नम्बर 312 का नया खसरा नम्बर 423 कायम किया गया है। वर्तमान खसरा नम्बर 431 रकबा 0.19 हैक्टर, गत खसरा नम्बर 315 से बना है।
- इस प्रकार वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 312 से नया खसरा नम्बर 431 का बनना नहीं पाये जाने के कारण तनकी के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(3) *आया वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कराने व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- प्रस्तुत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 423 है जो गत खसरा नम्बर 312 से बना है तथा वर्तमान में राजकीय खाता सिवायचक दर्ज है।
- तहसीलदार द्वारा मसल नम्बर 194/86 के दिनांक 04.01.2002 को उप जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित सनद जॉच रिपोर्ट के बिन्दुओं के उपर अंकित किया है – खसरा नम्बर 312 की 1 बीघा, नवीन नम्बर 431 रकबा 0.19 हैक्टर।
- प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावा के अन्ति पैरा में अंकित किया है कि भू प्रबन्ध विभाग ने आवंटन के तहत नवीन खसरा नम्बर 431 रकबा 0.19 हैक्टर पर गैरखातेदारी दर्ज कर दी, जो गलत है। वास्तव में साविक खसरा नम्बर 312 के नवीन खसरा नम्बर 423 रकबा 0.16 हैक्टर पर गैरखातेदारी दर्ज किया जाना अपेक्षित था।
- उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि वादी को गत खसरा नम्बर 312 की 1 बीघा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका नया नम्बर 423 की 0.16 हैक्टर वादी के खाते दर्ज होनी थी।
- मुताबिक सनद जॉच रिपोर्ट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 423 की 0.16 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 431 की 0.19 हैक्टर (0.03 हैक्टर अधिक) वादी के खाते दर्ज की दी।
- खसरा नम्बर 431 की वर्तमान जमाबन्दी में वादी उदा के वारिसान के खाते 0.03 हैक्टर आराजी ही शेष बची है अर्थात उनके खाते दर्ज होने के आधार पर 0.16 हैक्टर आराजी का वादी अथवा उसके वारिसान द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी को आवंटित 1 बीघा आराजी के आधार पर वादी

0.16 हैक्टर आराजी प्राप्त करने का अधिकारी था तथा वादी अथवा उसके वारिसान द्वारा 0.16 हैक्टर आराजी को खुर्द बुर्द करके उसका उपयोग – उपभोग किया जा चुका है।

- उपरोक्त परिस्थियों को देखते हुये, अव वादी किसी भी प्रकार की आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और ना ही वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोपित कराने व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कराने का अधिकारी है।
- अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

(4) *<u>आया वादी द्वारा घोषणा का दावा पेश किया है जबकि प्रकरण एल.आर. एक्ट 1956 के तहत 136 के अन्तर्गत प्रभावित होने से दावा खारिज योग्य है। –</u>*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।
- एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में लिपिकीय अथवा अन्य त्रुटि में सुधार के प्रावधान विद्यमान है।
- प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा राजरथान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत उसको आवंटित गत खसरा नम्वर से वने नये खसरा नम्वर पर खातेदारी घोषणा तथा रिकार्ड में इन्द्राज के लिये यह दावा पेश किया गया है, जिसमें इन्द्राज दुरुस्ती (धारा–89) का अनुतोष नहीं चाहा गया है।
- एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी घोषणा दिये जाने के प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस कारण वादी द्वारा सही रूप से अधिनियम की धारा 88 के तहत यह दावा पेश किया गया है।
- अतः वादी की ओर से पेश दावा एल.आर.एक्ट 1956 के तहत धारा 136 के अन्तर्गत प्रभावित नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

(5) *<u>अनुतोष ?</u>* : प्रस्तुत प्रकरण के विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि –

- वादी द्वारा, वादी को आवंटित गत खसरा नम्वर 312 की 1 बीघा आराजी के नये खसरा नम्वर 423 की 0.16 हैक्टर पर खातेदार घोपित किये जाने सम्वन्धी अनुतोष चाहा गया है।
- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा के अनुसार वादी का विवादित आराजी खसरा नम्वर 423 पर अतिक्रमी के रूप में काबिज होने तथा प्रस्तुत दावा एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 136 से प्रभावित होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन तथा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि

- ☞ वादी को गत खसरा नम्वर 312 की 1 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था जिसका नया खसरा नम्वर 423 कायम किया गया तथा उक्त नये खसरा नम्वर की 0.16 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज होनी चाहिये थी।
- ☞ सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्वर की 0.19 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज कर दी जिसका गत खसरा नम्वर 315 था तथा वादी ने उक्त आराजी भी आवंटन से ही प्राप्त होना वताया है किन्तु खसरा नम्वर 315 अथवा 431 के आवंटन सम्वन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। साथ ही प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से प्राप्त जवाव दावा में भी अवगत कराया गया है कि वादी को गत खसरा नम्वर 315 का आवंटन नहीं पाया गया है।
- ☞ वादी की ओर से पेश नकल जमावन्दी संवत 2038–2057 में खसरा नम्वर 431 की 0.19 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज थी तथा इसी खसरा नम्वर 431 की वर्तमान जमावन्दी में केवल 0.03 हैक्टर आराजी वादी के वारिसान के खाते दर्ज है।
- ☞ वादी द्वारा वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्तमान खसरा नम्वर 431 के गत खसरा नम्वर 315 से 1 बीघा 5 विस्वा आराजी आवंटित होने का मिथ्या कथन अंकित किया है जो प्रतिवादी के जवाव दावा के अनुसार वादी को उक्त आराजी का आवंटन नहीं पाया गया है और ना ही वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया

है। वादी की मंशा तो सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उसके खाते दर्ज हो चुकी खसरा नम्बर 431 की आराजी को अपने नाम ही दर्ज रखते हुये, न्यायालय को भ्रमित कर अपने आवंटन के आधार पर खसरा नम्बर 423 की 0.16 हैक्टर भी अपने खाते दर्ज कराने की रही है अर्थात वह एक ही आवंटन के आधार पर खसरा नम्बर 431 एवं खसरा नम्बर 431 दोनों की ही आराजी को प्राप्त करके न्यायालय के माध्यम से सरकार को नुकसान पहुंचाने का ध्येय रखता है।

- वादी की इस नियत को इस बात से भी बल मिलता है कि जब संवत 2038–2057 में खसरा नम्बर 431 की 0.19 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज हो चुकी थी। तब उसी आवंटन से प्राप्त होने वाली खसरा नम्बर 423 की आराजी के लिए उसके द्वारा दिनांक 06.09.2011 को अपने पोत्रों के वसीयत निष्पादित कर दी ताकि भविष्य में खसरा नम्बर 431 की आराजी तो वादी के वास्तविक वारिसान के नाम दर्ज रहे और खसरा नम्बर 423 की आराजी उसके पोत्रों के नाम दर्ज हो जाये जिससे किसी को वादी द्वारा किये गये फर्जीवाड़ा की जानकारी प्राप्त न हो सके।
- निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वादी के खाते दर्ज 0.19 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर आराजी पर अपना अधिकार मानते हुये वादी अथवा उसके वारिसान द्वारा खसरा नम्बर 431 की 0.16 हैक्टर आराजी का उपयोग–उपभोग करके खुर्द बुर्द कर दी गई है। इसी कारण अब खसरा नम्बर 431 में 0.03 हैक्टर आराजी ही शेष बची है।
- प्रस्तुत प्रकरण में वादी को आवंटित आराजी 1 बीघा के आधार पर वादी, 0.16 ही अपने खाते दर्ज करवाने अथवा 0.16 हैक्टर का खातेदार घोषित होने का अधिकारी था, जो कि वह प्राप्त कर चुका है।
- अब खसरा नम्बर 431 में जो 0.03 हैक्टर आराजी बच रही है, वह वादी की नहीं है इसी कारण वादी द्वारा इसे नहीं छेड़ा गया है तथा छोड़ दिया गया है इसलिये खसरा नम्बर 431 की 0.03 हैक्टर आराजी को राजकीय खाता सिवायचक दर्ज किया जाना विधिसंगत समीचीन प्रतीत होता है।

अतः सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि के कारण वादी को आवंटित 1 बीघा अर्थात 0.16 हैक्टर आराजी के स्थान पर अन्य खसरा नम्बर की 0.19 हैक्टर (0.03 हैक्टर अधिक) आराजी वादी के खाते दर्ज हो जाने से इसमें से 0.16 हैक्टर आराजी का वादी अथवा उसके वारिसान द्वारा उपयोग उपभोग कर लिये जाने के कारण वादी अब किसी भी खसरा नम्बर से कोई आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुये आदेशित किया जाता है कि वादी को उसके आवंटन से अधिक प्राप्त, ग्राम अरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 431 रकबा 0.03 हैक्टर को राजकीय खाता सिवायचक दर्ज किया जावे।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 06.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती [illegible] कुमारी)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

उपस्थित :-

पन्नालाल आत्मज हेमीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –
1. गिर्राज पुत्र प्रेमशंकर
2. रविन्द्र पुत्र प्रेमशंकर
जाति धाकड़, निवासीगण ग्राम आरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. जिला कलेक्टर, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88 RTA
मुकदमा नम्बर : 84 / 11
निर्णय दिनांक : 06-06-2024 GCMS id : 2011 / 00014

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री तेजमल जैन, हुकमचन्द जैन की उपस्थिति में वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 06-06-2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि के कारण वादी को आवंटित 1 बीघा अर्थात 0.16 हैक्टर आराजी के स्थान पर अन्य खसरा नम्बर की 0.19 हैक्टर (0.03 हैक्टर अधिक) आराजी वादी के खाते दर्ज हो जाने से इसमें से 0.16 हैक्टर आराजी का वादी अथवा उसके वारिसान द्वारा उपयोग उपभोग कर लिये जाने के कारण वादी अब किसी भी खसरा नम्बर से कोई आराजी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि वादी को उसके आवंटन से अधिक प्राप्त, ग्राम आरलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 431 रकबा 0.03 हैक्टर को राजकीय खाता सिवायचक दर्ज किया जावे।

* खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 06 जून, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड़			जोड़		